3/यो0-स0क0-28/2024/...04

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2024-25)

प्रेषक,

नवीन कुमार सिंह, (भा०प्र०से०),
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-.....8-1-2025

विषय:- **वित्तीय वर्ष 2024-25 में "सक्षम ऑगनबाड़ी एवं पोषण 2.0" के अन्तर्गत नाबार्ड के आर०आई०डी०एफ० के तहत ऑगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण हेतु रू. 1000.00 लाख (रू. दस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समेकित बाल विकास सेवाएं अन्तर्गत नाबार्ड के आर०आई०डी०एफ० (ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास निधि) –XXX के तहत रू० 12.00 लाख प्रति ऑगनबाडी केन्द्र की दर से कुल 2500 ऑगनबाडी केन्द्र भवन के निर्माण हेतु रू० 300.00 करोड की लगात है, जिसमें नाबार्ड के ऋण से रू० 255.00 करोड (85 प्रतिशत) एवं राज्य योजना मद से 45.00 करोड (15 प्रतिशत) व्यय कर किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में समेकित बाल विकास सेवाएं अन्तर्गत नाबार्ड के ऋण से ऑगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण हेतु कुल रू. 1000.00 लाख (रू. दस करोड़) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :-

(राशि लाख में)

क्र.	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1.	समेकित बाल विकास योजना (नाबार्ड सम्पोषित योजना)	(51-4235021020103)	0103. 53.01	1000.00
कुल - (रू. दस करोड़)				**1000.00**

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आईसीडीएस निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आईसीडीएस निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरूद्ध CFMS में प्राप्त राशि के आधार पर ही आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश से राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित विभाग के पत्रांक 214/वि० दिनांक 06.03.2024, 3576/वि0 दिनांक 01.04.24, 730/वि0 दिनांक 09.12.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।

5. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-28/2024 के टिप्पणी पृष्ट संख्या **02**/टि0 पर दिनांक-**13.12.2024** को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0स०क०-28/2024 के टिप्पणी पृष्ट संख्या 07/टि0 पर दिनांक-08.01.2025 को अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।

7. यह चालू योजना है। अत: महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-28/2024/ 04 पटना, दिनांक- 8-1-2025

प्रतिलिपि - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस./सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-28/2024/ 04 पटना, दिनांक- 8-1-2025

प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/ सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-28/2024/ 04 पटना, दिनांक- 8-1-2025

प्रतिलिपि–विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।

ज्ञापांक- 3/यो0स०क०-28/2024/ 04 पटना, दिनांक- 8-1-2025

प्रतिलिपि–अपर मुख्य सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव,
समाज कल्याण विभाग।